



# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

## Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

दिनांक/Date : 07/03/19.....

पत्रांक/Ref. No. : 5889.....

सेवा में,

निदेशक,  
पंचायती राज,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय— ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (पद कोड- 4R) के पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण की संस्तुति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अधियाचन संख्या- 664 / 1-पं0 / स्था0 / 05 / 2015-16, दिनांक 16.07.2015 के द्वारा 196 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु आयोग को अधियाचन उपलब्ध कराया गया था, जिसके क्रम में आयोग द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को उक्त पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया तथा लिखित प्रतियोगी परीक्षा पूर्व में दिनांक 06.03.2016 को आयोजित की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेशानुसार लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की पुनः लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 25.02.2018 को आयोजित की गई। दिनांक 04.02.2019 को अभिलेख सत्यापन हेतु द्वितीय औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई।

रिट याचिका संख्या- 3820 / 2018 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 07.01.2019 के अनुपालन में उत्तरकाशी जनपद हेतु संस्तुति रोकੀ गई है। पूर्व में जनपदवार- 161 अभ्यर्थियों की संस्तुति दिनांक 22.01.2019 व पत्रांक संख्या 5722 द्वारा नियोक्ता विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। इसी क्रम में जनपदवार दूसरे चरण में निम्न तालिका में अंकित (05) अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु संस्तुति की जाती है:-

:-

### 1. जनपद- अल्मोड़ा

S. N.	ROLL NO.	NAME	FATHER'S NAME	DOB	SEX	CAT	MARKS	SELECT AS	GEN RAN K
1	1222040404	KAMLESHWAR PRASAD	MR. GEETA RAM	30.09.90	M	GEN	68.75	GEN	16

*(Handwritten signature)*


## 2. जनपद— पिथौरागढ़

S. N.	ROLL NO.	NAME	FATHER 'S NAME	DOB	SEX	CAT	MARKS	SELECT AS	GEN RANK
1	2607040112	SHIVRAJ CHAND	MR. LACHHI CHAND	27.08.89	M	GEN	70.00	GEN	16
2	1210040276	SURENDRA KUMAR SHAHI	MR. DIGAR SINGH SHAHI	30.06.86	M	OBC	67.75	OBC	27
3	2401040375	MAYANK RAJAN	MR. RAJENDRA PRASAD	25.09.88	M	SC	62.00	SC	120
4	2404040094	VINOD KUMAR	MR. RAMI RAM	04.10.85	M	SC	61.50	SC	126

सादर अवगत कराना है कि आयोग द्वारा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भराए जाते हैं व आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अर्हता आदि प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होती। आयोग द्वारा अभिलेखों का सत्यापन केवल इस दृष्टि से किया जाता है कि अभ्यर्थी की चयन हेतु सहमति का पता चल सके व साथ ही आवेदन पत्र में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हैं या आवेदन पत्र में असत्य सूचना दी गई है, का ज्ञान हो सके। आयोग द्वारा किए जाने वाले अभिलेख सत्यापन में इन प्रमाण पत्रों की वैधता आदि का परीक्षण नहीं किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि नियमानुसार अभ्यर्थियों के डोजियर में संलग्न अभिलेखों का अन्तिम रूप से सत्यापन, वैधता परीक्षण तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए सम्बन्धित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता से पूर्णतः सन्तुष्ट होने के पश्चात ही उपरोक्त सूची में अंकित चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— 1. डोजियर (05)

भवदीय,  
  
(सतोष बडोनी)  
सचिव।